

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग


क्रमांक:- एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2011/ 5617-42 जयपुर, दिनांक 3.5.12

अधिसूचना

जिला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ सम्वत 2068 (सन् 2011) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एकेक्टोड एरियाज (सरपेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 15 जुलाई 2012 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	303
2.	बांसवाड़ा	837
3.	बाड़मेर	315
4.	डूंगरपुर	985
5.	प्रतापगढ़	375
6.	जयपुर	140
7.	नागौर	13
	कुल ग्राम	2968

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अभय कुमार)
शासन सचिव